न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 18/2023

अनवान : –

1. लक्ष्मीनारायण पुत्र श्री लीलाधर जाति महाजन उम्र 74 वर्ष पेशा कृषि व व्यापार निवासी मोदी मार्ग, नोहर व मकान नं. 2211, फर्स्ट मैन रोड़, 4 ए कॉस आरपीसी लेआउट विजयनगर विजयनगर क्लब के पिछे बैंगलोर।

– सायल

बनाम्

1. श्याम सुन्दर पुत्र श्री सीताराम जाति ब्राहम्ण (सेवग) उम्र 70 वर्ष पेशा कुछ नहीं निवासी वार्ड नं. 20, चाचाण मौहल्ला, नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. संजय कुमार पुत्र श्री महावीर प्रसाद जाति अग्रवाल (खदरीया) उम्र 46 वर्ष पेशा व्यापार निवासी सेक्टर 5, नोहर तहसील नोहर जिल हनुमानगढ़।
3. पवन कुमार पुत्र श्री द्वारकाप्रसाद जाति अग्रवाल (राणीयावाला) उम्र 65 वर्ष पेशा व्यापार निवासी चाचाण धर्मशाला के सामने, नोहर तहसील नोहर जिल हनुमानगढ़।
4. हिमांशु पुत्र श्री लक्ष्मणदास आलवानी उम्र 35 वर्ष निवासी सिंधी मन्दिर के पास नोहर तहसील नोहर।

– गैरसायालान

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– 1. श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **सायल**
2. श्री हवासिंह पूनिया अधिवक्ता गैरसायलान

निर्णय दिनांकः 27/01/26

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रौही मौजा कस्बा नोहर के खसरा नं. 266/112 की तादादी 00.5180 है. कृषि भूमि सायल व वाद के तरतीबी प्रतिवादीगण की बहिस्सा बराबर की कब्जा काश्त की खातेदारी है जो सदामत से सायल व वाद के तरतीबी प्रतिवादीगण के कब्जा काश्त में शांतिपूर्वक चली आ रही है। उक्त कृषि भूमि साहवा–बाईपास के पश्चिमी तरफ है जिसके पश्चिमी तरफ चिपते खसरा सं. 112/8, 112/2, 112/5, 112/6, 111/3 लगते है जिनमें से खसरा सं. 112/6, 112/8, 111/3 का रकबा गैर मुमकिन हो चुका है लेकिन खसरा सं. 111/3 रकबा के गैर मुमकिन से पूर्व खातेदार कास्तकार गैरसायल सं. 1 था ओर खसरा सं. 112/2 का खातेदार कास्तकार गैरसायल सं. 2 है और खसरा सं. 112/5 का खातेदार कास्तकार गैरसायल सं. 3 है।

ायल व वाद के तरतीबी प्रतिवादीगण की कृषि भूमि कस्बा के नजदीक होने से व साहवा बाईपास सड़क पर होने से उसकी कीम[illegible]तरी हो चुकी है और उक्त कृषि भूमि के नजदीक आवासीय व वाणिज्यिक [illegible] भी हो रहे है। गैरसायल सं. 1 श्यामसुन्दर की कृषि भूमि रौही मौजा नोहर के खसरा नम्बर 111/3 [illegible] तादादी 02.0490 हैक्टेयर खातेदारी थी जो गैर मुमकिन राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है और उक्त कृषि भूमि को

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.29 11:03:54 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

गैरसायल सं. 1 द्वारा वाणिज्यिक भूखण्डात के रूप में विक्रय किया जा रहा है। गैरसायल सं. 1 अपनी कृषि भूमि में करीब साढ़े ग्यारह वर्ष पूर्व कॉलोनी काट रहा था और सड़क आदि का निर्माण कर रहा था तथा जमीन से मिट्टी खुदाई का कार्य भी कर रहा था। सायल व वाद के तरतीबी प्रतिवादीगण की कृषि भूमि गैरसायल सं. 1 के चिपती होने से उसने सायल व वाद के तरतीबी प्रतिवादगण की कृषि भूमि पर से मिट्टी हटानी शुरू कर दी और 150 पक्की इन्टे उठा कर ले गया और उक्त भूमि पर प्लाट काटने, उक्त भूमि खुर्द बुर्द करने की ऐलानियां धमकी देने लगा जिस सायल व वाद के तरतीबी प्रतिवादी सं. 5 ने गैरसायल सं. 1 के खिलाफ वास्ते स्थाई निषेधाज्ञा वाद पेश किया।

सायल व वाद के तरतीबी प्रतिवादीगण की कृषि भूमि 3.0860 हैक्टेयर थी जो खसरा सं. 112/7 में थी और गैरसायल सं. 1 की कृषि भूमि खसरा सं. 111/3 में थी जो उक्त वाद की सुनवाई के दौरान गैरसायल सं. 1 की कृषि भूमि गैर मुमकिन हो गई और सायल व वाद के तरतीबी प्रतिवादीगण की कृषि भूमि खसरा सं. 112/7 व 112/9 में तब्दील हुई और खसरा सं. 112/7 का रकबा 01.1380 है. बारानी प्रथम में तब्दील हुआ और खसरा सं. 112/9 दो खसरों में जो खसरा सं. 266/112 रकबा 0.5180 है. बारानी प्रथम में तब्दील हुआ और शेष खसरा सं. 265/112 रकबा 01.4300 है. गै.मु. व्यवसायिक प्रयोजनार्थ दर्ज हुआ। उक्त खसरा सं. 112/7 नोहर–साहवा बाईपास के पूर्वी तरफ चिपता है व खसरा सं. 265/112 व 266/112 उक्त मार्ग के पश्चिमी तरफ चिपते है। गैरसायलान द्वारा सायलान की भूमि में निर्माण किया जा रहा है। गैरसायलान को यह अधिकार नहीं है कि वह अवैधानिक रूप से सायल व वाद के तरतीबी प्रतिवादीगण की उक्त कृषि भूमि में निर्माण करें और गैरसायल सं. 1 ता 3 को यह अधिकार नहीं है कि सायल व वाद के तरतीबी प्रतिवादीगण की उक्त कृषि को अपनी बताते हुए भूखण्डात के रूप में दिगर को विक्रय करें और यदि गैरसायलान अपने उक्त मकसद में कामयाब हो जाते है तो सायल व वाद के तरतीबी प्रतिवादीगण को अपूर्णीय क्षति होगी। जिसकी पूर्ति मुद्रा में संभव नहीं है।

अत प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि खिलाफ गैरसायल सं. 4 के खिलाफ इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने का अधिकार है कि सायल व वाद के तरतीबी प्रतिवादीगण की खसरा सं. 266/112 की 0.5180 है. कृषि भूमि जो राजस्व रिकॉर्ड में सायल व वाद के तरतीबी प्रतिवादीगण के बतौर खातेदार दर्ज है में गैरसायल सं. 4 अवैध निर्माण करने से निषिद्ध रहे और गैरसायल सं. 1 ता 3 उक्त कृषि भूमि को अपनी बताते हुए दिगर को भूखण्डात के रूप में मदाखलत बेजा कर विक्रय करने से निषिद्ध रहें।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रोही मौजा कस्बा नोहर के खाता स0 73/73 के ख0न0 266/112 की 0.5180 हैक्टेयर भूमि में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की गई अप्रार्थीगण उक्त भूमि की यथास्थिति बनाये रखे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.29 11:03:54 IST
Reason: SelfAttested

Rahul

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया की उक्त भूमि पर आवासीय निर्माण हो चुका है एवं पटटाधारी काबिज है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण को तंग व परेशान करने के लिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सुनी गई। हमने प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का सम्मान अललोकन किया। पपत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों के गहन अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे पर पहुचे है कि वादग्रस्त भूमि बाबत हकों/सीवं व डोल का निर्धारण मूल दावें के निर्णय में तय होना है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष मे है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होती है? पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अनुसार वाद भूमि सायलान के नाम दर्ज है प्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी की भूमि आबादी के चिपते हुई है एवं गैरसायलान प्रार्थी की खातेदारी भूमि पर काबिज होकर निर्माण कार्य करना चाहते है एवं सींव व डोल को मिस्मार करना चाहते है लेकिन अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया गया है जिससे अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी की सींव व डोल को मिस्मार किया जा रहा हों, उक्त विवेचनास्वरूप प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष मे सिद्ध होता है क्योंकि प्रार्थी, अप्रार्थी के नाम दर्ज भूमि में अप्रार्थी को ही, पाबन्द करवाना चाहता है।। जब प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थी के पक्ष में सिद्ध हो गया है तो सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थी के पक्ष में सिद्ध होता है। अगर अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला कन्फर्म की जाती है तो अपूर्णीय क्षति भी अप्रार्थीगण को होगी न की प्रार्थी कों। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति इन तीनों ही तत्वों में से कोई भी तत्व प्रार्थी के पक्ष में साबित नही होते है बल्कि अप्रार्थी के पक्ष में बखूबी साबित है। इसलिए अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना किसी भी तरह से न्यायोचित प्रतीत नही होता है तथा प्राकृतिक न्याय एवं साम्य न्याय के सिद्धान्तों के विपरित है।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्थाई निषेधाज्ञा साबित नही होने से दिनांक 02.02.2023 को जारी की गई अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 27/01/26 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.29 11:03:54 IST
Reason: SelfAttested

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर